

निर्णय ब-इजलास प्रकाश राजपुरीहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 37/2023 (धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्रीमती ज्योति सुण्डा, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री गोपीचंद शर्मा पुत्र श्री प्रभू नारायण शर्मा, निवासी भम्भीरी, कालवाड रोड, जयपुर मालिक मैसर्स प्रज्ञा गैस सर्विस, सिवार रोड, बिन्दायका, जयपुर।

अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जबाशुदा 03 घरेलू गैस (01 बीपीसी, 01 आईओसी, 01 एचपीसी) क्षमता 14.2 किग्रा, 01 छोटा सिलेण्डर आईओसी क्षमता 5 किग्रा, 15 अप्रामाणिक पेट्रोमैक्स सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 01 बांसूरी मय 41.200 किग्रा एलपीजी को राजसात करने बाबत।

उपरिस्थित :-

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपरिस्थित।

निर्णय


दिनांक 22.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 17.08.2023 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक दुरुपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स प्रज्ञा गैस सर्विस, सिवार रोड, बिन्दायका, जयपुर से जबाशुदा 03 घरेलू गैस (01 बीपीसी, 01 आईओसी, 01 एचपीसी) क्षमता 14.2 किग्रा, 01 छोटा सिलेण्डर आईओसी क्षमता 5 किग्रा, 15 अप्रामाणिक पेट्रोमैक्स सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 01 बांसूरी मय 41.200 किग्रा एलपीजी को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 03.07.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी स्वयं उपरिस्थित।
3. बहस उमय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौके पर दुकान परिसर में 03 घरेलू गैस (01 बीपीसी, 01 आईओसी, 01 एचपीसी) क्षमता

जिला कलक्टर
जयपुर

14.2 किग्रा, 01 छोटा सिलेण्डर आईओसी क्षमता 5 किग्रा, 15 अप्रामाणिक पेट्रोमैक्स सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 01 बांसूरी मय 41.200 किग्रा एलपीजी पाए गए हैं, जिनका उपयोग अवैध सिफिलिंग में किया जा रहा था। उक्त कार्य से अप्रार्थीगण की अवैध मुनाफा की मनस्थिति सिद्ध होती है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर गैस सिलेण्डर्स के क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं छोटे सिलेण्डरों में अवैध हस्तांतरण संबंधी कोई कागजात/दस्तावेज पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया जाकर दण्डनीय अपराध कारित किया गया है। अतः जब्तशुदा गैस सिलेण्डर्स एवं अन्य सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द नौका जब्ती दिनांक 17.06.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डर स्वयं के कनेक्शन शुदा एवं वैध स्वामित्व का होना बताया है, परंतु वैध स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है। घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद दुकान में गैस सिलेण्डर्स एवं अन्य सामग्री पाई गई है, जिससे घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा गैस सिलेण्डर्स व अन्य सामग्री को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 03 घरेलू गैस (01 बीपीसी, 01 आईओसी, 01 एचपीसी) क्षमता 14.2 किग्रा, 01 छोटा सिलेण्डर आईओसी क्षमता 5 किग्रा, 15 अप्रामाणिक पेट्रोमैक्स सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 01 बांसूरी मय 41.200 किग्रा एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 03.07.2023 को पारित किये जा चुके हैं तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि विनियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कैलक्टर
जयपुर